

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

बनाम .....

दिनांक .....

नं० .....

सन् .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

21/07/25  
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।  
बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन  
अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त  
है। दिनांक. 04/09/25 को पेश हो।

  
रीडर

04/09/25 वकील वादी के मुर्दा नामा पत्र पर पत्रा  
तलब की गई। वादी की ओर से श्री गणेश कुमार  
नाथक ने वकालत नामा पेश किया। वादी व  
वादी वकील ने वाद आगे नदी चलते हुए इसी  
क्षेत्र पर Not Proceed मंजूरी करने  
का कथन किया।

वादी के दस्तावेज को रखा गया। वादी की  
पहचान वकील वादी ने की। अतः वकील वादी  
के द्वारा वाद नोटिस करने पर वाद रखा  
जाता है। पत्रावली फेरल होकर नम्बर  
से कम हो। बाद में जमा लेख मंजूर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अलवर)

21/07/25  
पत्रावली  
के राल नाम  
हो गये  
उपर  
पलाग  
नदी यादी  
Not Proceed  
L. K. M.